

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उ0प्र0 शासन।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 13 अगस्त, 2020

विषय:- कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने एवं प्रभावी नियन्त्रण हेतु कतिपय लाजिस्टिक, जैसे-मास्क, पीपीई, आरटी-पीसीआर उपकरण, वेंटीलेटर्स आदि क्रय करने के लिए धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व विभाग के पत्र संख्या 154/एक-10-2020-33(221)/2011 टी0सी0 II, दिनांक 25.03.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने एवं प्रभावी नियन्त्रण हेतु कतिपय लाजिस्टिक, जैसे-मास्क, पीपीई, आरटी-पीसीआर उपकरण, वेंटीलेटर्स आदि क्रय करने के लिये रू0 50,00,00,000/- (रूपये पचास करोड़ मात्र) की धनराशि सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन निवर्तन पर अग्रिम रूप से रखने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। महामारी की भयावहता को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में पत्र संख्या 166/एक-10-2020-33(221)/2011 टी0सी0 II, दिनांक 01.04.2020 द्वारा रू0 100,00,00,000/- (रूपये सौ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति पुनः निर्गत की गई।

2- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य आपदा मोचक निधि (SDRF) से स्वीकृत धनराशि रू0 50.00 करोड़ में से अत्यन्त कम धनराशि व्यय होने तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत रू0 100.00 करोड़ के सापेक्ष कोई आहरण न होने के दृष्टिगत पत्र सं0-309/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-3, दिनांक 23.06.2020 द्वारा दिनांक 25.03.2020 द्वारा स्वीकृत धनराशि का सम्पूर्ण उपयोग कर, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र राजस्व विभाग को उपलब्ध कराने तथा शासन के पत्र संख्या दिनांक 01.04.2020 द्वारा स्वीकृत रू0 100,00,00,000/- (रूपये सौ करोड़ मात्र) की धनराशि का आहरण, उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात, राजस्व विभाग की सहमति के उपरान्त ही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3- कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने एवं प्रभावी नियन्त्रण हेतु कतिपय लाजिस्टिक, जैसे-मास्क, पीपीई, आरटी-पीसीआर उपकरण, वेंटीलेटर्स, मेडिकल कन्ज्यूमेबिल्स आदि का क्रय एन0एच0एम0 से भी अनुमन्य है।

4- अतः उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोंपरान्त शासन के पत्र सं०-166/एक-10-2020- 33(221)/2011 टी०सी० II, दिनांक 01.04.2020 द्वारा एसडीआरएफ मद से रू० 100,00,00,000/- (रूपये सौ करोड़ मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति संबंधी उक्त आदेश दिनांक 01.04.2020 को निरस्त किया जाता है।

यदि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को तात्कालिकता के आधार पर उक्त मदों हेतु एसडीआरएफ मद से धनराशि की आवश्यकता है तो प्रस्ताव राजस्व विभाग को विचार हेतु उपलब्ध करा सकते हैं।

भवदीया,
13/12/2020
(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 510 (1) / एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-2, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० मेडिकल सप्लाइज कार्पोरेशन लि०, लखनऊ।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 6- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 7- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय गोयल)
सचिव।

Minus Allotment Grid Report


वित्तीय वर्ष:-2020-2021
समर्पण दिनांक-14/08/2020

प्रेषण संख्या:- 510
समर्पण आदेश संख्या:- 001-510
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का समर्पण)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
10 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6073-प्रबन्ध निदेशक उ० प्र० मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन , लखनऊ-01-a	वर्तमान प्रगामी	1000000000 1000000000	1000000000 1000000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1000000000 1000000000	1000000000 1000000000

महायोग- (वर्तमान समर्पण):- रूपया एक अरब

महायोग- (प्रगामी समर्पण):- रूपया एक अरब


उमेश कुमार उपाध्याय
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन